म.प्र. अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम, 1972

[क्रमांक 2 सन् 1972]

अनुक्रमणिका

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ
2. परिभाषायें
3. साहूकार प्रतिवर्ष अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करेगा
4. अनुज्ञप्तियों की मंजूरी या नामंजूरी
5. साहूकार द्वारा कारोबार के स्थान में परिवर्तन
6. साहूकार दुकानों पर अपने नाम प्रदर्शित करेंगे
7. साहूकार को अनुज्ञान ब्याज तथा प्रभार
8. साहूकार का लेख रखने तथा प्रतिलिपियाँ देने का कर्त्तव्य
9. ऋणी द्वारा किये गये भुगतानों को जमा करने की रीति
10. साहूकार द्वारा लेखाओं के विवरण का तथा उसकी प्रतिलिपियों का दिया जाना
11. ऋणी दिये गये लेखाओं की शुद्धता को स्वीकार करने के लिए आबद्ध नहीं होगा
12. उधारों से सम्बन्धित वादों में न्यायालय की प्रक्रिया
13. डिक्री की रकम का भुगतान किस्तों में करने का निदेश देने की शक्ति
14. ब्याज को उधार के मूल धन की सीमा तक सीमित करने की न्यायालय की शक्ति
15. ऋण संग्रहकर्त्ताओं का नियोजन
16. निरीक्षकों की नियुक्ति
17. निरीक्षकों की शक्तियाँ
18. लेखाओं या अन्य दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की गई उधार की रकम से कम रकम, उधार देने तथा उनमें विनिर्दिष्ट किए गए ब्याज से, अधिक ब्याज लेने के लिए दण्ड
19. अपराधों का संज्ञान
20. ऋणी के उत्पीड़न के लिए शास्ति
21. अनुज्ञप्तियों को निलम्बित करने या रद्द करने की शक्ति
22. निलम्बन या रद्दकरण के आदेश का प्रकाशन
23. अनुज्ञप्ति के निलम्बन या रद्दकरण के लिए कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा
24. अनुज्ञप्ति के बिना कारोबार करने के लिये शास्ति
25. अन्य शास्तियाँ
26. अपराधों का विचारण करने की अधिकारिता
27. भोग बन्धक को सादा बन्धक समझा जायेगा
28. नियम बनाने की शक्ति
29. निरसन

म.प्र. अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम, 1972

[क्रमांक 2 सन् 1972]

[1][दिनांक 19 अक्टूबर, 1972 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्य प्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में दिनांक 10 नवम्बर, 1972 को प्रथमबार प्रकाशित की गई]

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ --** (1) ये विनियम मध्य प्रदेश अनुसूचित जन-जाति साहूकार विनियम, 1972 कहे जा सकेंगे ।

(2) इनका विस्तार मध्यप्रदेश के समस्त अनुसूची क्षेत्रों पर है ।

(3) ये ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियम करे ।

2. **परिभाषायें --** इन विनिमयों में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(एक) "बैंक" से अभिप्रेत हैं, बैंकिग रेग्यूलेशन एक्ट, 1949 (क्रयांक 10 सन् 1949) की धारा 5 में यथापरिभाषित बैंकिग कम्पनी और उसके (बैंक के) अन्तर्गत स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट, 1955 (क्रमांक 23 सन् 1955) के अधीन गठित स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (सबसीडियरी बैंक्स) एक्ट, 1959 (क्रमांक 38 सन् 1959) में यथापरिभाषित सबसीडियरी बैंक आते हैं तथा कोई भी ऐसी अन्य वित्तीय संस्था आती है, जिसे कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे;

(दो) "सहकारी सोसाइटी" से अभिप्रेत है, ऐसी सोसाइटी जो मध्य प्रदेश को-आपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 1961 (क्रमांक 17 सन् 1961) के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या रजिस्ट्रीकृत समझी जाती हो;

(तीन) "न्यायालय" के अन्तर्गत वह न्यायालय आता है, जो दिवाला-विषयक अधिकारिता के प्रयोग में कार्य करता हो;

(चार) "ऋणी" से अभिप्रेत है, अनुसूचित जनजाति का ऐसा सदस्य जिसे उधार दिया गया हो और उसके अन्तर्गत हित उत्तराधिकारी या प्रतिक आता है;

---

[1] म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दि. 10 नवम्बर, 1972 के पृष्ठ क्र. 2887 पर प्रकाशित हुआ तथा प्रथम मई, 1976 से प्रवृत्त ।

(पाँच) "ब्याज" के अन्तर्गत कोई भी ऐसी रकम, चाहे वह किसी भी नाम से बोली जाय, आती है जो कि उधार देने वाले को उधार के सम्बन्ध में उसके प्रतिफलस्वरूप या अन्यथा, मूलधन के अतिरिक्त चुकाई गई हो या देय हो, किन्तु उसके अन्तर्गत कोई ऐसी राशि नहीं आती है जो उधार देने वाले द्वारा इन विनियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अनुसार, विधिसम्मत खर्चों, प्रभारों या व्ययों के लिये या उनके मुद्दे विधिपूर्वक प्रभारित की गई हो;

(छः) "अनुज्ञप्ति" से अभिप्रेत है इन विनियमों के अधीन मंजूर की गई साहूकार-अनुज्ञप्ति और 'अनुज्ञाप्त' का तद्नुसार ही अर्थ लगाया जायेगा;

(सात) "उधार" से अभिप्रेत है ब्याज पर दिये गये धन या वस्तुओं, माल या सामग्रियों का कोई अग्रिम तथा उसके (उधार के) अन्तर्गत कोई ऐसा संव्यवहार आता है जिसे न्यायालय सारत: ऐसा अग्रिम होना समझे, किन्तु उसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं आते हैं -

(क) किसी बैंक, डाकघर, बचत बैंक या सहकारी सोसाइटी में धन या अन्य संपत्ति का निक्षेप;

(ख) सरकार द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो कि सरकार द्वारा उसकी ओर से अग्रिम देने के लिये प्राधिकृत किया गया हो या किसी स्थानीय अधिकारी द्वारा दिया गया अग्रिम;

(ग) किसी बैंक या किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा दिया गया अग्रिम;

(आठ) "अनुसूचित जनजाति का सदस्य" से अभिप्रेत है किसी जनजाति, जनजाति समुदाय अथवा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या किसी जनजाति समुदाय के भीतर के समूह का, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में उस रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो, सदस्य;

(नौ) "साहूकार" के अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जिसका कारोबार उधार देने तथा उसे उगाहने का है तथा उसके (साहूकार) के अन्तर्गत व्यापारी आता है और उसके (साहूकार के) अन्तर्गत, धारा 3 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुये उस व्यक्ति के जिसने कि उधार दिया हो, विधिक प्रतिनिध और हित उत्तराधिकार भी आते है जिनको कि ऐसा प्रतिनिधित्व या उत्तराधिकार चाहे विरासत द्वारा, चाहे समनु-देशन द्वारा या अन्यथा प्राप्त हुआ हो, किन्तु उसके (साहूकार के) अन्तर्गत कोई बैंक या कोई सहकारी सोसाइटी नहीं आती है तथा अभिव्यक्ति "साहूकारी" का तद्नुसार ही अर्थ लगाया जायेगा;

स्पष्टीकरण- जहॉ कोई साहूकार, जो कि अनुसूचित क्षेत्र का निवासी न हो, अपने अभिकर्त्ता की मार्फत, जो ऐसे क्षेत्र में निवास करता हो, साहूकारी का कारोबार करता हो, यहाँ ऐसा अभिकर्त्ता उस कारोबार के सम्बन्ध में साहूकार समझा जायेगा ।

(दस) "गिरवी" से अभिप्रेत है, ऐसी वस्तु जो गिरवी रखी गई हो;

(ग्यारह)"गिरवी रखने वाला" से अभिप्रेत है, कोई ऐसा व्यक्ति, जो किसी वस्तु को, उसे गिरवी रखने के लिये किसी साहूकार को देता है;

(बारह) "मूलधन" से अभिप्रेत है ऋणी को दिया गया वास्तविक अग्रिम, चाहे वह नगदी में हो या वस्तु के रूप में;

(तेरह) "अनुसूचित क्षेत्र" में अभिप्रेत है कोई भी ऐसा क्षेत्र जो भारत के संविधान की पंचम अनुसूची की कंडिका 6 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के भीतर अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया हो;

(चौदह) "व्यापारी" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो उसके द्वारा दिए गए उधार की प्रतिभूति भूति में माल तथा जंगम वस्तु को लेने का कारबार करता हो;

स्पष्टीकरण - प्रत्येक व्यक्ति जो माल या जंगम वस्तुओं के क्रय या विक्रय के लिये अथवा या जंगम वस्तु पर अग्रिम दिए गए धन हेतु प्रतिभूति के रूप में माल या जंगम वस्तुओं को लेने के लिये दुकान रखता है और जो माल या जंगम वस्तुओं को क्रय करता है, प्राप्त करता है या लेता है तथा उन पर कोई धनराशि किसी ऐसे अभिव्यक्त या विवक्षित करार या समझौते के साथ या उसके बिना कि उन मालों या तमाम वस्तुओं का किन्हीं भी निबन्धनों पर बाद में मोचन या पुन: क्रय किया जा सकेगा, चुकता है, अग्रिम देता हैं य उधार देता है; इस खण्ड के अर्थ के अन्तर्गत व्यापारी है ।

(पन्द्रह)"वर्ष" से अभिप्रेत हैं, अंग्रेजी कलेण्डर के अनुसार संगणित वर्ष या ऐसी अन्य कालावधि जो नियमों द्वारा विहित की जाये ।

3. साहूकार प्रतिवर्ष अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करेगा -- (1) कोई भी व्यक्ति, इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख को या उसके पश्चात् अनुसूचित क्षेत्रों में किसी स्थान पर साहूकारी का कारबार इन विनियमों के अधीन साहूकार-अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त किए बिना नहीं करेगा ।

(2) जहा किसी व्यक्ति की साहूकारी के कारोबार की एक से अधिक दुकानें या स्थान हों, चाहे वे उसी स्थान, नगर या ग्राम में हो, वहाँ वह प्रत्येक ऐसी दुकान या कारोबार के स्थान के सम्बन्ध मे पृथक-पृथक साहूकार अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करेगा ।

(3) (क) जहाँ साहूकारी का कारोबार रजिस्ट्रीकृत फर्म द्वारा किया जाता हो, वहाँ अनुज्ञप्ति प्रबन्धक के, जिसका कि अनुज्ञप्ति में उस रूप में वर्णन किया गया हो, नाम से अभिप्राप्त की जायेगी ;

(ख) जहाँ साहूकारी का कारोबार किसी अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब द्वारा किया जाता हो, वहाँ अनुज्ञप्ति प्रबन्धक के जिसका कि अनुज्ञप्ति में उस रूप में वर्णन किया गया हो, नाम से अभिप्राप्त की जायेगी;

(ग) जहाँ साहूकारी को कारोबार व्यक्तियों की ऐसी किसी अन्य संस्था (एसोशिएशन) द्वारा किया जाता हो, जो कम्पनीज एक्ट, 1956 (केन्द्रीय अधिनियम क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 11 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिये अपेक्षित न हो, वह प्रत्येक ऐसे व्याक्ति द्वारा स्वयं को संस्था के सदस्य के रूप में वर्णित करते हुये, पृथक्-पृथक् अनुज्ञप्ति अपने-अपने नाम से अभिप्राप्त की जायेगी:

परन्तु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (केन्द्रीय अधिनियम क्रमांक 9 सन् 1932) की धारा 69 के प्रर्वतन पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

4. अनुज्ञप्तियों की मंजूरी या नामंजूरी -- (1) (क) साहूकार-अनुज्ञप्ति के लिये प्रत्येक आवेदन-पत्र लिखित में होगा तथा ऐसे प्राधिकारी को दिया जायेगा जो कि विहित किया जाये ।

(ख) प्रत्येक ऐसा आवेदन-पत्र पच्चीस रुपये से अनधिक ऐसी फीस के साथ भेजा जायेगा, जिसे राज्य सरकार, समय-समय पर अधिसूचना द्वारा, अवधारित करे ।

(ग) खण्ड (ख) के अधीन देय फीस ऐसी रीति में चुकाई जायेगी जैसी कि विहित कही जाय ।

(घ) जहाँ अनुज्ञप्ति, जिसके लिये आवेदन किया गया हो, नामंजूर कर दी गई हो, वहाँ खण्ड (ख) के अधीन चुकाई गई फीस पूरी लौटा दी जायेगी और जहाँ अनुज्ञप्ति के लिये दिया गया आवेदन-पत्र अनुज्ञप्ति के वस्तुत: मंजूर किए जाने के पूर्व ही आवेदक द्वारा वापस ले लिया गया हो, वहाँ चुकाई गई फीस उनका दस प्रतिशत कम करके लौटा दी जायेगी ।

(2) प्रत्येक अनुज्ञप्ति ऐसे प्रारूप में तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुये मंजूर की जायेगी जैसा कि विहित किया जाये ।

(3) अनुज्ञापन प्राधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, अनुज्ञप्ति मंजूर करने से इन्कार कर सकेगा यदि ऐसे प्राधिकारी का सम्यक् जाँच करने के पश्चात् यह समाधन हो गया हो, -

(क) कि आवेदक ने अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए दिए गए आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में, इन विनियमों या उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का अनुपालन नहीं किया है;

(ख) कि आवेदक ने इन विनियमों की किसी अपेक्षा के उल्लंघन में जान बूझकर कार्य किया है;

(ग) (एक) कि आवेदक ने साहूकारी के कारोबार के संचालन में या उस कारोबार के सम्बन्ध में किसी कपट या बेईमानी में जानबूझकर भाग लिया है या उसमें मौनानुकूलता बरती है; या

(दो) यह कि आवेदक भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (केन्द्रीय अधिनियम क्रमांक 45 सन् 1860) के अध्याय 17 या 18 के अधीन किसी अपराध को दोषी पाया गया है ।

स्पष्टीकरण - इस खण्ड के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति 'सम्यक् जाँच के अन्तर्गत पूर्व पृष्ठ भूमि से आवेदक द्वारा पूर्व में प्रभारित किए गए ब्याज की दरों से, आवेदक द्वारा की गई वसूली आदि की रीति से सम्बन्धित जाँच आती है :

परन्तु खण्ड (ग) के उपखण्ड (दो) में विनिर्दिष्ट किये गये आधारों से भिन्न आधारों में से, जो कि ऊपर विनिर्दिष्ट किए गए हैं, किसी भी आधार पर अनुज्ञप्ति मंजूर करने से इन्कार करने वाला कोई आदेश पारित करने के पूर्व, आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा ।

(4) अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञप्ति मंजूर करने या अनुज्ञप्ति मंजूर करने से इन्कार करने के विषय में, राज्य सरकार या ऐसे अन्य प्राधिकारी के, जो कि विहित किया जाय नियंत्रण तथा निदेश के अध्यधीन होगा।

(5) उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश द्वारा व्यथित कोई भी व्यक्ति, उसको ऐसा आदेश संसूचित किये जाने की तारीख से एक मास के भीतर, विहित प्राधिकारी को अपील कर सकेगा ।

(6) इस धारा के अधीन मंजूर की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति उपधारा (7) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, उस वर्ष के जिसके लिए कि वह मंजूर की गई थी, अन्तिम दिन समाप्त हो जाएगी ।

(7) उपधारा (2) के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति का वर्षानुवर्ष नवीनीकरण किया जा सकेगा, तथा उपधारा (1) से (4) तक के उपबन्ध अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार कि वे अनुज्ञप्ति की मंजूरी के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

5. **साहूकार द्वारा कारोबार के स्थान में परिवर्तन-** कोई भी साहूकार, अनुज्ञापन प्राधि-कारी को पूर्व सूचना दिये बिना कारोबार का स्थान परिवर्तित नहीं करेगा।

6. **साहूकार दुकानों पर अपने नाम प्रदर्शित करेंगे-** (1) प्रत्येक साहूकार अपनी दुकान या कारोबार के स्थान के बाहरी दरवाजे के ऊपर उस स्थान की मुख्य भाषा में शब्द "अनुज्ञप्त साहूकार" सहित अपना नाम बड़े-बड़े अक्षरों में सदैव प्रदर्शित करके रखेगा।

(2) प्रत्येक साहूकार अपनी दुकान या कारोबार के स्थान के बाहरी दरवाजे के ऊपर एक ऐसा फलक (बोर्ड) सदैव प्रदर्शित करके रखेगा जिस पर धारा 15 के अधीन नियोजित किए गए ऋण संग्रहकर्त्ता का यदि कोई हो, नाम विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

7. **साहूकार को अनुज्ञान ब्याज तथा प्रभार -** (1) कोई भी साहूकार दिए गए किसी भी उधार पर निम्नलिखित से अधिक दर से ब्याज प्रभारित नहीं करेगा -

(क) जहाँ उधार प्रतिभूत हो वहाँ छः प्रतिशत प्रतिवर्ष सादा ब्याज; और

(ख) जहाँ उधार प्रतिभूत न हो वहां बारह प्रतिशत प्रति वर्ष सादा ब्याज

(2) साहूकार, ऋणी से ऐसे प्रभार मांग सकेगा या ले सकेगा जैसे कि विहित किए जायें।

(3) साहूकार, ऋणी से कोई ऐसा ब्याज जो, उपधारा (1) के अधीन देय ब्याज से अधिक हों या कोई ऐसा प्रभार जो उपधारा (2) के अधीन विहित किए गये प्रभार से अधिक हो, न तो मांगेगा ओर न लेगा।

8. **साहूकार का लेख रखने तथा प्रतिलिपियाँ देने का कर्त्तव्य -** (1) प्रत्येक साहूकार ऐसे प्रारूप तथा ऐसी रीति में, जैसा कि विहित किया जाए रोकड़ बही तथा खाता बही रखेगा तथा बनाए रखेगा।

(2) प्रत्येक साहूकार ऋणी को उस तारीख से, जिनको कि उधार दिया गया हो, तीस दिन के भीतर उस स्थान की मुख्य भाषा में एक विवरण देगा या दिलवायेगा जिसमें स्पष्ट तथा सुव्यक्त शब्दों में उधार की रकम तथा उसकी अवधिपूर्णता की तारीख, उधार के लिए प्रतिभूति का, यदि कोई हो, प्रकार ऋणी का तथा साहूकार का नाम और पता तथा प्रभारित किए गये ब्याज की दर दर्शाई जाएगी:

परन्तु किसी भी ऐसे विवरण का ऋणी को दिया जाना अपेक्षित नहीं होगा यदि उसे साहूकार द्वारा ऐसी पास-बुक दे दी जाय जो कि विहित रूप में होगी और जिसमें ऋणी के साथ किए गए संव्यवहारों का अद्यतन लेख अन्तर्विष्ट होगा।

(3) उधार का पूर्णत प्रतिसंदाय किया जाने पर, प्रत्येक साहूकार, ऋणी के द्वारा हस्ताक्षरित किए गए प्रत्येक कागज पर भुगतान का रद्दकरण को उपदर्शित करने वाले शब्द इस प्रकार लिखेगा जो मिट न सके और प्रत्येक बन्धक को उन्मोचित करेगा, प्रत्येक गिरवी को वापस करेगा और ऋणी द्वारा उधार के लिए प्रतिभूति के रूप में दिये गये प्रत्येक समनुदेशन को रद्द करेगा या पुन: समनुदशित करेगा।

(4) कोई साहूकार किसी ऋणी से, उसकी खड़ी फसल को चाहे वह विद्यमान हो या भावी हो या उसके कृषि उपयोगी पशुओं को उधार हेतु प्रतिभूति के रूप में प्रतिग्रहीत नहीं करेगा।

(5) कोई भी साहूकार किसी ऋणी से, किसी उधार के मदे नगदी में या वस्तु के रूप में कोई भी भुगतान तब तक प्राप्त नहीं करेगा जब तक कि वह ऐसी ऋणी को उस भुगतान के लिए रसीद न दे दे जो कि ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जो कि विहित किया जाय सम्यकरूपेण साक्ष्यांकित हो।

(6) (क) कोई भी साहूकार, किसी ऋणी से, किसी उधार के लिए पणयम् गिरवी या प्रतिभूति के रूप में किसी वस्तु को तब तक प्रतिग्रहित नहीं करेगा जब तक कि वह ऐसे ऋणी को उसके लिये हस्ताक्षरित रसीद, उससे उस (वस्तु) का वर्णन, प्राक्कलित मूल्य, उस वस्तु पर दिए गए उधार की रकम और ऐसी अन्य विशिष्टियाँ, जो कि विहित की जायें, अंकित करते हुए न दे दे।

(ख) ऋणी द्वारा साहूकार के पक्ष में निष्पादित की गई दस्तावेजें उपधारा (5) के अधीन विहित किए गए प्राधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित की जायेंगी।

(7) कोई भी साहूकार किसी ऐसे उधार को जो उसके द्वारा किसी ऋणी को दिया गया हो, उधार के चालू रहने के दौरान किसी भी समय, मूलत: दी गई रकम में उस रकम पर प्रोद्भूत होने वाले ब्याज को सम्मिलित करके या अन्यथा इस प्रकार नवीकृत नहीं करवायेगा कि जिससे इन विनियमों के या तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि के उपबन्ध विफल हो जायें।

9. **ऋणी द्वारा किए गये भुगतानो को जमा करने की रीति -** ऋणी के द्वारा किए गए समस्त भुगतान प्रथमत: ब्याज के लेखे में जमा किए जायेंगे और किसी भुगतान की ऐसी अवशिष्ट, यदि कोई हो, जो भुगतान करने के समय शोध्य ब्याज के अतिशेष को चुकाने के लिए पर्याप्त रकम से अधिक हो, ऋणी के पक्ष में मूलधन के लेखे में जमा की जाएगी या विकल्प में ऐसे भुगतान, जिन्हें साहूकार

अवधारित करे लेखे में जमा अवशिष्ट , यदि

प्रथमत: मूलधन के लेखे में जमा किए जायेंगे और शेष भुगतान संगणना किए गए ब्याज के किए जायेंगे । जब कि ब्याज का अतिशेष पूर्णयता चुका दिया गया हो, तो भुगतान की कोई हो, मूलधन के लेखे में जमा की जायेगी ।

10. साहूकार द्वारा लेखाओं के विवरण का तथा उसकी प्रतिलिपियों का दिया जाना -- (1) प्रत्येक साहूकार ऋणों के विरुद्ध हस्ताक्षरित हो,

अपने ऋणियों में से प्रत्येक को ऐसे ऋणियों के लेखाओं का किसी रकम से, जो कि ऐसे परादेय हो, सम्बन्धित सुपाठ्य विवरण जो कि साहूकार या उसके अभिकर्ता द्वारा प्रतिवर्ष देगा । विवरण में निम्नलिखित बातें दर्शायी जायेंगी --

(क) साहूकार को शोध्य मूलधन की रकम तथा ब्याज की रकम पृथक्-पृथक्;

(ख) प्रत्येक भुगतान की वह रकम जो साहूकार को उस वर्ग के दौरान उसे उधार के सम्बन्ध में पहले ही प्राप्त

हो गई हो, उस तारीख सहित, जिस पर प्रत्येक भुगतान किया गया था;

(ग) समस्त भुगतान चाहे वे मूलधन के लेखे में जमा किए गए हों, ब्याज के लेखे में जमा किया गया हो;

(घ) मूलधन तथा ब्याज की रकम जो अशंदत्त रही हो ।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किये गये विवरण पर साहूकार या उसके अभिकर्त्ता द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे और वह ऐसे प्रारूप में होगा तथा ऋणी को ऐसी तारीख का या उसके पूर्व दिया जायेगा जो कि

विहित की जाए ।

(3) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उक्त उपधारा में निर्दिष्ट किए गए भी विवरण का और

ऋणी का दिया जाना अपेक्षित नहीं होगा यदि उसे साहूकार ने पास बुक जो विहित प्ररूप में होगी जिसमें ऋणी के साथ किये गये संव्यवहारों का अद्यतन लेखा अन्तर्विष्ट होगा दे दी हों ।

(4) साहूकार, उपधारा (2) के अधीन विहित की गई तारीख को या उसके पूर्व उपधारा (1) में निर्दिष्ट किये

गये विवरण की प्रतिलिपि विहित प्राधिकारी को देगा या दिलायेगा ।

(5) प्रत्येक साहूकार अनुसूचित जनजाति के सदस्य को किसी उधार के दिए जा चुकने की सूचना उधार दिए

जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर, विनियम 16 के अधीन नियुक्त किए गए निरीक्षक को भेजेगा । वह ऐसे उधारों के सम्बन्ध में, जो इन विनियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व ऐसे सदस्य को दिए गए हों, एक विवरण भी ऐसे प्रारम्भ से साठ दिन के भीतर निरीक्षक को भेजेगा ।

(6) किसी विशिष्ट उधार के सम्बन्ध में चाहे वह तारीख के, जिसको कि ये विनिमय प्रवृत्त हों, पूर्व या पश्चात् दिया गया हो साहूकार उस कालावधि के दौरान, जबकि उधार या उसके किसी भाग का प्रतिसंदाय नहीं किया गया हो, किसी भी समय ऋणी द्वारा लिखित में मांग की जाने पर और विहित फीस का भुगतान हो जाने पर, ऋणी को या यदि ऋणी ऐसी अपेक्षा करे, तो मांग-पत्र में उस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट किए गए किसी व्यक्ति को, -

(एक) ऐसा विवरण देगा जो साहूकार या उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा जिसमें उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट की गई विशिष्टियाँ अन्तर्विष्ट हो; या

(दो) उसके द्वारा दिये गये उधार से सम्बन्धित किसी दस्तावेज की या किसी प्रतिभू द्वारा लिखी गई किसी दस्तावेज की प्रतिलिपि देगा ।

11. **ऋणी दिये गये लेखाओं की शुद्धता को स्वीकार करने के लिए आबद्ध नहीं होगा --** ऋणी, जिसको धारा 10 के अधीन लेखाओं का विवरण या कोई पास-बुक दी गई हो, उसकी शुद्धता को अभिस्वीकार करने या उसकी शुद्धता का प्रत्याख्यान करने के लिए आबद्ध नहीं होगा और उसके द्वारा ऐसा न किया जाना स्वयं ही उन लेखाओं की शुद्धता की स्वीकृति नहीं माना जायगा ।

12. **उधारों से सम्बन्धित वादों में न्यायालय की प्रक्रिया -** तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे वाद में जिसको कि ये विनियम लागू होते हों, -

(क) न्यायालय, गुणागुण के आधार पर दावे का विनिश्चय करने के पूर्व यह विवाद्यक विरचित करेगा कि साहूकार ने धारा 8, 9 तथा 10 के उपबन्धों के का अनु पालन किया है;

(ख) यदि न्यायालय को यह प्रतीत हो कि साहूकर द्वारा धारा 8, 9 तथा 10 के उपबन्धों का अनुपालन नहीं किया गया है, तो वह, यदि वादी का दावा पूर्णत: या अंशत: स्थापित हो, चुका हो, शोध्य पाए गए सम्पूर्ण ब्याज या उसके किसी भाग को, जैसा कि मामले की परिस्थितियों में उसे युक्तियुक्त प्रतीत हो, नामंजूर कर सकेगा तथा खर्चे नामंजूर कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण - इस धारा प्रयोजनों के लिए, उस साहूकार के सम्बन्ध में, जिसने कि विहित प्रारूप तथा रीति में रसीद दे दी हो या लेखाओं का विवरण या पास बुक दे दी हो, किन्हीं गलतियों या लोगों के होते हुए भी माना जायगा कि उसने तथास्थिति धारा 8, 9 तथा 10 के उपबन्धों का अनुपालन किया है यदि न्यायालय को लगे कि ऐसी गलतियाँ तथा लोप सारवान नहीं है या कपटपूर्वक नहीं किए गए हैं ।

13. **डिक्री की रकम का भुगतान किस्तों में करने का निदेश देने की शक्ति -** सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (क्र. 5 सन् 1908) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, न्यायालय किसी भी समय, निर्णीत ऋणी के आवेदन पर डिक्रीदार को सूचना देने के पश्चात् यह निदेश दे सकेगा कि उधार के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख के पूर्व या पश्चात् पारित की गई किसी डिक्री की रकम इतनी किस्तों में, ऐसी तारीखों को तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए चुकाई जाएगी जिन्हें कि वह निर्णीत ऋणी की परिस्थितियों तथा डिक्री की रकम को ध्यान में रखते हुये ठीक समझे।

14. **ब्याज को उधार के मूल धन की सीमा तक सीमित करने की न्यायालय की शक्ति -** (1) किसी करार या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए कोई भी न्यायालय किसी उधार के सम्बन्ध में, चाहे वह इन विनियमों के प्रवृत्त होने के पूर्व दिया गया हो या उसके पश्चात् दिया गया हो, ब्याज के बकाया के मदे, डिक्री की तारीख को शोध्य उधार के मूलधन से अधिक राशि की डिक्री नहीं देगा।

(2) यदि न्यायालय की यह राय हो, कि लेनदार ने ब्याज या मूलधन की रकम उतनी से अधिक वसूल करती है, जितनी कि इन विनियमों के अधीन अनुज्ञेय है तो वह (न्यायालय) यथास्थिति ब्याज या मूलधन की अतिरिक्त रकम की वापसी के लिए आदेश दे सकेगा।

15. **ऋण संग्रहकर्त्ताओं का नियोजन -** (1) किसी साहूकार द्वारा इसकी शोध्य की गई किसी उधार की मांग करने या उसकी वसूली करने के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति तब तक नियोजित नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसे व्यक्ति के पास इस धारा के अधीन मंजूर किया गया ऐसा प्रमाण-पत्र न हो जो कि उसे ऋण-संग्रहकर्त्ता के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन मंजूर किया जाने वाला प्रमाण-पत्र ऐसे प्रारूप में तथा ऐसी कालावधि के लिए होगा। उसमें ऐसी विशिष्टियाँ अन्तर्विष्ट होंगी, तथा वह ऐसे प्राधिकारी द्वारा मंजूर किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए।

16. **निरीक्षकों की नियुक्ति -** (1) राज्य सरकार या उसके द्वारा सशक्त किया गया कोई अधिकारी, जो कि कलेक्टर के पद से निम्न पद का न हो अधिसूचना द्वारा एक या अधिक व्यक्तियों को इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक नियुक्त कर सकेगा तथा ऐसी अधिसूचना में उनकी अधिकारिता की स्थानीय सीमायें विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(2) प्रत्येक निरीक्षक, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (केन्द्रीय अधिनियम क्रमांक 45 सन् 1860) की धारा 21 के अर्थ अन्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

17. **निरीक्षकों की शक्तियाँ -** (1) कोई राजस्व अधिकारी, जो डिप्टी कलेक्टर के पद से, निम्न पद का न हो निरीक्षक से यह रिपोर्ट प्राप्त होने पर कि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति

उस अनुज्ञप्ति के करता हो कि प्रवेश करे तथा गिरवी

राजस्व अधिकारी की अधिकारिता के भीतर किसी स्थान पर साहूकारी का कारोबार बिना कर रहा है, ऐसा वारण्ट जारी कर सकेगा जो उस निरीक्षक को इस बात के लिए संशक्त वह ऐसी सहायता लेकर, जिसे कि ऐसा राजस्व अधिकारी आवश्यक समझे, ऐसे स्थान में तथा ऐसे परिसरों में, पुस्तकों, लेखाओं, अभिलेखों, फाइलों, दस्तावेजों, सुरक्षित तहखानों का निरीक्षण करे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए निरीक्षण के पश्चात् निरीक्षक ऐसी पुस्तकें, लेखे, अभिलेख, फाइलें तथा दस्तावेज जिन्हें कि वह आवश्यक समझे और अन्वेषण के लिए अपने कार्यालय में ले जा सकेगा ।

(3) यदि निरीक्षक परिसरों में से किन्हीं, पुस्तकों, लेखाओं, अभिलेखों, फाइलों तथा दस्तावेजों को हटाए, तो वह उस स्थान के भारसाधक व्यक्ति को, जिसकी कि अभिरक्षा में से उनको हटाया गया था, एक रसीद देगा जिसमें कि अपने द्वारा इस प्रकार हटाई गई पुस्तकों, लेखाओं, अभिलेखों, फाइलों तथा दस्तावेजों का वर्णन किया जाएगा ।

(4) निरीक्षक परिसरों से पुस्तकों, लेखाओं, अभिलेखों, फाइलों तथा दस्तावेजों को हटाए जाने के चौबीस घण्टे के भीतर या तो उन्हें उस व्यक्ति को लौटा देगा, जिसकी कि अभिरक्षा में से वे हटाये गए थे या उन्हें उस राजस्व अधिकारी के समक्ष पेश करेगा । जिसने कि वारण्ट जारी किया था, ऐसा राजस्व अधिकारी, पुस्तकों लेखाओं, अभिलेखों, फाईलों तथा दस्तावेजों को या उनमें से किसी को भी उस व्यक्ति को, जिसकी अभिरक्षा में से उन्हें निरीक्षक द्वारा हटाया गया था, ऐसे व्यक्ति से ऐसी प्रतिभूति लेने के पश्चात् लौटा लगा, जैसी कि राजस्व अधिकारी पुस्तकों, लेखाओं, अभिलेखों, फाइलों तथा दस्तावेजों के या तो निरीक्षक द्वारा या न्यायालय द्वारा अपेक्षा की जाने पर, पेश किये जाने के लिए आवश्यक समझे, या उनके निपटारे के सम्बन्ध में ऐसे अन्य आदेश पारित कर सकेगा जो कि न्याय-संगत या आवश्यक प्रतीत हो:

परन्तु जहाँ इस प्रकार हटाई गई पुस्तकें, लेखें अभिलेख, फाइलें तथा दस्तावेजें इस खण्ड के अधीन राजस्व अधिकारी के समक्ष पेश की जायें वहाँ अभिग्रहण के स्थान से, उक्त राजस्व अधिकारी तक की यात्रा के लिये युक्ति-युक्त रूप से आवश्यक समय चौबीस घण्टों की कालावधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिये छोड़ दिया जाएगा ।

(5) निरीक्षक को यह प्राधिकार होगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका कि परिसाक्ष्य वह किसी उधार या साहूकारी के किसी कारोबार के सम्बन्ध में अपेक्षित करे अपने समक्ष उपसंजात होने या उसके कब्जे या नियंत्रण में की कोई दस्तावेज पेश करवाने के लिये अपेक्षित करे तथा ऐसे व्यक्ति की परीक्षा करे ।

(6) निरीक्षक सहायता के लिये पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को, आवेदन कर सकेगा और इन विनियमों के अधीन अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में पुलिस की सहायता ले सकेगा।

18. **लेखाओं या अन्या दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की गई उधार की रकम से कम रकम, उधार देने तथा उनमें विनिर्दिष्ट किए गए ब्याज से, अधिक ब्याज लेने के लिए दण्ड -** (1) कोई भी साहूकार चाहे वह अनुज्ञप्त हो या न हो -

(क) जो वस्तुत: उधार से सम्बन्धित अपने लेखाओं, रजिस्टरों, पणयम्-पत्रक, (धन टिकिट) या अन्य दस्तावेजों में दर्शाई गई रकम से कम रकम देता है; या

(ख) जो लेखाओं, रजिस्टरों, पणयम्-पत्रों (मान टिकिट) या अन्य दस्तावेजों में दर्शाई गई दरों से ऊँची दर पर ब्याज या अन्य प्रभार लेता है; या

(ग) जो धारा 8 की उपधारा (7) के उल्लंघन में उधार का नवीकरण करता है, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से जो कि दो हजारो रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) यदि कोई साहूकार उपधारा (1) के अधीन अपराध का ऐसे अपराध के लिये पूर्व में सिद्ध दोष ठहराया जा चुकने के पश्चात् सिद्ध दोष ठहराया जाए, जो उसे पश्चात्वर्ती अवसर पर, सिद्ध दोष ठहराने वाला न्यायालय उसकी साहूकार अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकेगा:

परन्तु ऐसा रद्दकरण किसी साहूकार के अनुज्ञप्ति के रद्दकरण के पूर्व इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार उसके द्वारा दिए गए उधारों को उगाहने के उसके अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगा।

19. **अपराधों का संज्ञान -** कोई भी न्यायालय, इन विनियमों या उनके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान धारा 1 के अधीन नियुक्त किये गए निरीक्षक द्वारा या ऐसे अन्य अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जो कि विहित किया जाय, लिखित में किये गए परिवाद पर ही करेगा अन्यथा नहीं।

20. **ऋणी के उत्पीड़न के लिए शास्ति -** (1) जो कोई किसी उधार की वसूली के लिए किसी ऋणी को उत्पीड़ित करेगा या उसके उत्पीड़न का दुष्प्रेरण करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में, जो किसी अन्य व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य करने का उसे अधिकार हो, करने से प्रविरत करवाने या कोई ऐसा कार्य, जिसे करने में प्रवरित रहने का उसे अधिकार हो करवाने के आशय से -

(क) ऐसे अन्य व्यक्ति को बाधित करे या उस पर बल प्रयोग करे या उसे अभित्रस्त करे, या

(ख) ऐसे अन्य व्यक्ति का एक स्थान से अन्य स्थान तक निरन्तर पीछा करे या उसके स्वामित्व की या उसके द्वारा उपयोग में लाई गयी किसी सम्पत्ति में हस्ताक्षेप करे या उसके उसे उपयोग से वंचित करे या उसके उपयोग में उसे प्रतिबाधित करे; या

(ग) ऐसे गृह या अन्य स्थान, जहाँ कि ऐसा अन्य व्यक्ति निवास करता हो, या कार्य करता हो या कारोबार करता हो या संयोग से हो, पर या उसके निकट मटर-गस्ती करे या इसी प्रकार का कोई कार्य करे,

यह समझा जाएगा कि वह ऐसे अन्य व्यक्ति को उत्पीड़ित करता है:

परन्तु वह व्यक्ति जो शोध्य उधार के प्रतिसंदाय के लिये केवल औपचारिक माँग करने या जानकारी अभिप्राप्त करने अथवा संसूचित करने के प्रयोजन से ऐसे गृह या स्थान पर या उसके समीप उपस्थित रहता है, ऐसा अन्य व्यक्ति उत्पीड़ित करने वाले की कोटि में नहीं आयेगा ।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (केन्द्रीय अधिनियम क्रमांक 5 सन् 1898) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन कोई भी अपराध संज्ञेय और जमानतीय होगा ।

21. अनुज्ञप्तियों को निलम्बित करने या रद्द करने की शक्ति - (1) अनुज्ञापन प्राधिकारी किसी भी अनुज्ञप्ति की अवधि के दौरान किसी भी समय लिखित ओदश द्वारा, उस अनुज्ञप्ति को ऐसी कालावधि के लिये, जिसे कि वह उचित समझे; निलम्बित कर सकेगा या रद्द कर सकेगा -

(क) यदि अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के या अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन में कारोबार करता है; या

(ख) यदि कोई ऐसा कारण, जिससे कि अनुज्ञापन प्राधिकारी धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन साहूकार को अनुज्ञप्ति मन्जूर करने से इन्कार कर सकता था, अनुज्ञप्ति मंजूर करने के पश्चात् उस प्राधिकारी की दृष्टि में लाया जाता है; या

(ग) यदि अनुज्ञप्तिधारी, किसी दण्ड न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, जिसमें कि नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो; या

(घ) यदि अनुज्ञप्तिधारी मिथ्या लेखे रखता है, या

(ड) यदि अनुज्ञप्तिधारी धारा 16 के अधीन नियुक्त किये गए निरीक्षक को या इन विनियमों के अधीन नियुक्त किये गये अन्य प्राधिकारी को इन विनियमों या उनके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन उसके कर्त्तव्यों का पालन करने में बाधित करता है या सुविधायें देने से जानबूझकर इन्कार करता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति को निलम्बित या रद्द करने के पूर्व अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारी को उन आधारों का कथन करते हुये जिन पर कि कार्यवाही करना प्रस्तावित है और ऐसे समय के भीतर जो कि सूचना में विनिर्दिष्ट हो, उसके विरुद्ध हेतुक बतलाने के लिये उसे अपेक्षित करते हुये लिखित सूचना देगा।

(3) अनुज्ञापन प्राधिकारी के अनुज्ञप्ति के निलम्बित या रद्द करने वाले आदेश द्वारा व्यथित कोई भी ऐसे आदेश के उसे संसूचित किये जाने की तारीख में एक मास के भीतर विहित प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।

22. **निलम्बन या रद्दकरण के आदेश का प्रकाशन -** इन विनियमों के अधीन अनुज्ञप्ति के निलम्बन या रद्दकरण का प्रत्येक आदेश राजपत्र में और ऐसे क्षेत्र पर, जिससे कि अनुज्ञप्ति सम्बन्धित है, अधिकारिता रखने वाले पुलिस थाने पर तथा अनुज्ञापन प्राधिकारी के कार्यालय के सूचना पट्ट पर अधिसूचित किया जायेगा।

23. **अनुज्ञप्ति के निलम्बन या रद्दकरण के लिए कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा -** कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसकी अनुज्ञप्ति धारा 21 के अधीन निलम्बित या रद्द कर दी गई हो, ऐसे निलम्बन या रद्दकरण के सम्बन्ध में किसी भी प्रतिकर का या ऐसी अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में चुकाई गई किसी फीस की वापसी का हकदार नहीं होगा।

24. **अनुज्ञप्ति के बिना कारोबार करने के लिये शास्ति -** जो कोई अनुज्ञप्ति के बिना या अनुज्ञप्ति के निबन्धनों तथा शर्तों के अनुरूप न करके अन्यथा साहूकारी का कारोबार करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, यह दोनों से दण्डनीय होगा।

25. **अन्य शास्तियाँ -** (1) जो कोई इन विनियमों के या उनके अधीन बनाये गये किसी भी नियम के या उसके अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति के निबन्धनों या शर्तों के उपबन्धों में से किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा या कोई ऐसा दावा या कथन करेगा या ऐसी घोषणा प्रस्तुत करेगा जो मिथ्या है या

जिसके सत्य होने का उसे विश्वास न हो, वह यदि ऐसे उल्लंघन के लिये इन विनियमों में अन्यत्र कोई अन्य शास्ति उपबन्धित नहीं है, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार पाँच सौ रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण - धारा 21 के अधीन अनुज्ञप्ति का निलम्बन या रद्दकरण इस उपधारा के प्रयोजन के शास्ति नहीं समझा जाएगा।

(2) का हों लिए जहाँ इन विनियमों के या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबन्धों में से किसी भी उपबन्ध उल्लंघन, जिसके लिए कि कोई व्यक्ति सिद्धदोष ठहराया गया हो, केवल किसी कार्य-लोप के रूप में वहाँ न्यायालय अपराधी को सिद्धदोष ठहराते समय, उसे उस कार्य को नियत दिन के पूर्व करने के निदेश दे सकेगा और अपराधी द्वारा उक्त दिन के पूर्व उस कार्य के न किए जाने पर, उसकी अनुज्ञप्ति निलम्बित या रद्द करने का अदेश पारित कर सकेगा।

26. अपराधों का विचारण करने की अधिकारिता - प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न वर्ग कोई भी न्यायालय इन विनियमों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

27. भोग बन्धक को सादा बन्धक समझा जायेगा - किसी संविदा या दस्तावेज में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कृषि भूमि का कब्जा सहित प्रत्येक बन्धक जो इन विनियमों के प्रारम्भ होने की तारीख को विद्यमान हो और जो ऐसे साहूकार द्वारा, जो कि अनुसूचित जनजाति का सदस्य न हो, किसी ऋणी से धाररित हो, ऐसी भूमि पर प्रतिभूत रकम की सीमा तक सादा बन्धक द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया समझा जाएगा तथा बन्धकदार बन्धक रखी गई भूमि का कब्जा ऋणी को तत्काल प्रतिपरिदत्त (रिडिलीवर) कर देगा।

28. नियम बनाने की शक्ति - (1) राज्य सरकार, इन विनियमों के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के पूर्व प्रकाशन के पश्चात् नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्ट और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिए उपबन्ध हो सकेंगे, अर्थात्

(क) और दिया अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन-पत्र का प्रारूप तथा आवेदन-पत्र में अन्तर्विष्ट की जाने वाली विशिष्टियाँ वह प्राधिकारी, जिसको कि धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन ऐसा आवेदन-पत्र जाएगा;

(ख) वह रीति जिसमें धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन देय अनुज्ञप्ति फीस चुकाई जायेगी;

(ग) अनुज्ञप्ति का प्रारूप और वे निबन्धन तथा शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए वह धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन मंजूर की जा सकेगी;

(घ) अन्य प्राधिकारी जिसका धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन विहित किया जाना अपेक्षित हो;

(ड) वह प्राधिकारी जिसको धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन अपील होगी;

(च) वे प्रभार जिनकी धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन साहूकार द्वारा माँग की जा सकेगी;

(छ) वह प्रारूप तथा रीति, जिसमें कि इन विनियमों में विनिर्दिष्ट की गई पुस्तकें लेखे तथा दस्तावेज बनाये रखे जायेंगे, या उपयोग में जाये जायेंगे;

(ज) यह प्रारूप जिसमें, तथा वह तारीख जिसके पूर्व, विनियम, 10 की उपधारा (2) के अधीन विवरण दिये जायेंगे;

(झ) वह प्राधिकारी जिसको धारा 10 की उपधारा (4) के अधीन विवरण दिया जायेगा;

( ) वह प्राधिकारी जिसको धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन प्रमाण-पत्र मंजूर करने के लिए आवेदन-पत्र दिया जायेगा;

(ट) वह प्रारूप जिसमें और कालावधि जिसके लिए धारा 15 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किया गया प्रमाण- पत्र मंजूर किया जा सकेगा और वे विशिष्टियाँ जो ऐसे प्रमाण-पत्र में अन्तर्विष्ट होंगी;

(ठ) वह प्रक्रिया जिसका कि इन विनियमों के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने वाले जाँच करने वाले तथा अपीलें सुनने वाले प्राधिकारियों द्वारा प्रयोग में लाई जा सकेगी;

(ड) कोई अन्य विषय जो इन विनियमों के अधीन विहित किया जाना हो, या जो विहित किया जाये;

29. निरसन -- मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम, 1969 एतद्वारा निरस्त किये जाते हैं।